

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

एकलपीठ सिविल विविध अपील संख्या-1540 / 2021

आदेश दिनांक:-

04.07.2022

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता

उपस्थित:-

अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी :- श्री अमिताभ विजयवर्गीय

अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी :- श्री सत्यपाल पोषवाल

यह अपील निश्चित् समयावधि में प्रस्तुत की गई है, अतः अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम पर कोई आदेश पारित किया जाना अपेक्षित नहीं है ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम इसी अनुसार निस्तारित किया जाता है ।

प्रत्यर्थी संख्या-1 व 2 की ओर से योग्य अधिवक्ता श्री सत्यपाल पोषवाल उपस्थित हैं, जो उनकी ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं ।

वकालतनामा प्रस्तुत होने पर उनका नाम दैनिक वादसूची में दर्शित किया जावे ।

प्रत्यर्थी संख्या 3 से 5 को अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र के नोटिस 05.08.2022 की वापसी के लिए जारी किए जावें ।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही एक सप्ताह में करें ।

(न्या० प्रकाश गुप्ता)